

:- कार्यमुक्त आदेश:-

आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के परिपत्र संख्या: 443 दिनांक 13-01-2016 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में विभाग के अलग-अलग जोनों में तैनात नीचे उल्लिखित नाम के पुलिस कर्मियों की राज्य कर विभाग में नियमानुसार (02) दो वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित भिन्न-भिन्न तिथियों में प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के उपरान्त उनके संबंधित पुलिस विभाग के कार्यालय प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए कार्यमुक्त किया जाता है।

क्र0 सं0	पुलिस कर्मी का नाम / पदनाम	पुलिस मुख्यालय का आदेश संख्या व दिनांक	(02) दो वर्ष प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने वाली तिथि/गहन जनपद	राज्य कर विभाग में आरक्षी की विगत/वर्तमान तैनाती जोन का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री राकेश कुमार सागर उपनिरीक्षक P.N.O- 982510926	डी जी -चार-स्था- 03/2022/04 दि0-01-01-2022	15-08-2024 (दो वर्ष) आगरा	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर, मुरादाबाद
2	श्री मनोज कुमार मुख्य आरक्षी P.N.O- 052411276	डी जी -चार-स्था- 114/2021/149 दि0-25-03-2021	29-08-2024 (दो वर्ष) कानपुर	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर, वाराणसी/अलीगढ़
3	श्री प्रमोद कुमार यादव मुख्य आरक्षी P.N.O-112081326	डी जी -चार-स्था- 382/2022/664 दि0-17-08-2022	30-08-2024 (दो वर्ष) सिद्धार्थनगर	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर, वाराणसी
4	श्री दिनेश कुमार मुख्य आरक्षी P.N.O- 052680364	डी जी -चार-स्था- 382/2022/664 दि0-17-08-2022	30-08-2024 (दो वर्ष) सिद्धार्थनगर	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर, वाराणसी

संबंधित जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर उक्त कालम-4 में माह अगस्त-2024 में प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण करने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों को समय से कार्यमुक्त करते हुए कार्यालय प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ, मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ हेतु अपने जोन से रवाना करना सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही की सूचना से अधोहस्ताक्षरी / सर्वसंबंधित को भी अवगत करायेगे।

समसन्दर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय द्वारा कार्यमुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात किसी भी जोन द्वारा कार्यमुक्ति की नियत तिथि के उपरान्त पुलिस कर्मियों से किसी भी दशा में कार्य नहीं लिया जायेगा। यदि किसी जोन द्वारा कार्यमुक्ति की नियत तिथि के पश्चात कार्य लिया जाता है और उस अवधि में पुलिस कर्मी द्वारा कोई भी आपराधिक कृत्य कारित किया जाता है वह किसी आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होता है या ऐसी किसी भी गतिविधियों में सम्मिलित रहता है, जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) राज्य कर की होगी, जिसके लिए उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रकरण 30प्र0 शासन को संस्तुत कर दिया जायेगा। माह अगस्त-2024 अथवा इससे पूर्व माहों में यदि आपके जोन से कोई पुलिस कर्मी प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ के लिए कार्यमुक्त होने से वंचित रह गया है तो आपका यह दायित्व होगा कि आप उस पुलिस कर्मी को चिन्हित / कार्यमुक्त करते हुए उसके नाम / पदनाम / पी0एन0ओ0 नम्बर की सूचना से तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये।

श्री अजय

A
83/07/24D.C.(IT)
02/07/24 1147

प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ के लिए कार्यमुक्त हो चुके संबंधित पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिका /जी०पी०एफ०पास बुक / एल०पी०सी०/ अन्य सेवा सम्बंधी अभिलेखों को अद्यावधिक कराकर सीधे उनके संबंधित (नवीन तैनाती स्थान) के वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेगें।

उल्लिखित पुलिस कर्मियों में से जो आपके जोन से सम्बंधित नहीं हैं तथा अन्य जोन में तैनात हैं, के सम्बंधित तैनाती स्थान के जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) राज्य कर का यह दायित्व होगा, कि वह सम्बंधित पुलिस कर्मियों को मुख्यालय द्वारा निर्धारित तिथि से ही कार्यमुक्त करते हुए सर्वसम्बंधित सहित अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेगें।

(प्रकाश स्वरूप पाण्डेय)

आई० पी० एस०,

अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्रांक व दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक(स्थापना) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) राज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 4- पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक जनपद-आगरा /कानपुर / सिद्धार्थनगर।
- 5- प्रभारी-प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।